राजस्थान
साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा कार्यक्रमों में अहर्निश तत्पर

- नि :शुल्क विधिक सलाह एवं सहायता
- विधिक साक्षरता
    - आकाशवाणी, दूरदर्शन व कम्युनिटी रेडियो पर नियमित 'कानून की बात' कार्यक्रम का प्रसारण
    - 8 मोबाइल वेन के माध्यम से सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान
- विधिक सहायता क्लिनिक
- पीड़ित प्रतिकर स्कीम
- मुकदमों के निस्तारण की वैकल्पिक व्यवस्था
- वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, श्रमिकों, रोजगार जनित बीमारियों के पीड़ितों, यौनकर्मियों, बन्दियों, मानसिक रोगियों, महिलाओं, आदिवासियों एवं कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग
- विधिक जागरूकता के साथ–साथ समाज के कमजोर वर्गों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की अभिनव योजना – विधिक सेवा शिविर

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by authority
कार्तिक 1, शुक्रवार शाके 1942—अक्टूबर 23, 2020 Kartika 1, Friday, Saka 1942-October 23, 2020	

भाग—1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 22, 2020

संख्या प. 11(24) गृह -10 / 2018 :- माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (दाण्डिक) 156/2016 महेन्द्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में आदेश दिनांक 5 दिसम्बर, 2018 द्वारा साक्षी संरक्षण कार्यक्रम के लिए स्कीम बनाने हेतु निर्देशित किया है ।

अतः साक्षियों की सुविधा, सहूलियत और न्यायिक व्यवस्था में परिसाक्ष्य के बारे में संभावित धमकी से साक्षी को संरक्षण देने या अभित्रास या प्रतिशोध के भय के बिना विधि के प्रवर्तन और अन्वेषण के साथ सहयोग करने के प्रति सम्यक ध्यान दिये जाने के लिए, साक्षी संरक्षण की आवश्यकताओं के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य में साक्षियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थातः—

राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस स्कीम का नाम राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020'' है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएंः-

(क) ''संहिता'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) अभिप्रेत है;

(ख)''सक्षम प्राधिकारी'' से जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में, सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक / उपायुक्त और सदस्य–सचिव के रूप में सहायक निदेशक अभियोजन वाली स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''साक्षी की पहचान छिपाया जाना'' से अन्वेषण, विचारण और विचारण–पश्चात् के दौरान किसी भी रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नाम, पता और अन्य विशिष्टियों के प्रकाशन, जो साक्षी की पहचान दर्शित कर सकें, का प्रतिषेध किया जाना सम्मिलित और अभिप्रेत है;

(घ)''जिला विधिक सेवा प्राधिकरण'' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) ''कुटुम्ब के सदस्य'' में साक्षी के माता–पिता संरक्षक, पति या पत्नी, लिव–इन पार्टनर ,भाई–बहन, संतान, पौत्र–पौत्री सम्मिलित है;

(च)''प्रारूप'' से इस स्कीम से संलग्न साक्षी संरक्षण आवेदन प्रारूप अभिप्रेत है;

(छ)''सरकार'‘ से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ज)''कैमरा कार्यवाही'' से ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत है जहां सक्षम प्राधिकारी / न्यायालय केवल उन व्यक्तियों को जिनका संरक्षण आवेदन की सुनवाई और विनिश्चय के समय या न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के लिए उपस्थित होना आवश्यक हो; को न्यायालय में अनुज्ञात करे ।

(झ)''लाइव लिंक'' से अभिप्रेत है और इसमें लाइव विडियो लिंक या अन्य ऐसी व्यवस्था सम्मिलित है जिसके द्वारा कोई साक्षी, जब वह न्यायालय कक्ष से अनुपस्थित हो, मामले में अभिसाक्ष्य दे सके या सक्षम प्राधिकारी से अंतः क्रिया कर सके;

(ञ)**''साक्षी संरक्षण उपाय'‘** से स्कीम के खण्ड 7 में लिखित उपाय अभिप्रेत है;

(ट)''अपराध'' से वे अपराध अभिप्रेत है जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या सात वर्ष तक के या अधिक के कारावास से और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 , 354क, 354ख, 354ग, 354घ और 509 के अधीन दण्डनीय हो;

(ठ) ''राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण'' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 6 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) ''धमकी विश्लेषण रिपोर्ट'' से साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्य को धमकी मिलने की गंभीरता और विश्वसनीयता के संबंध में मामले का अन्वेषण करने वाले जिले के पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट अभिप्रेत है। इसमें साक्षी और उसके कुटुम्ब को उनके जीवन, ख्याति या संपत्ति को दी गयी धमकी की प्रकृति और विस्तार का विश्लेषण करने के अतिरिक्त धमकी देने वाले व्यक्तियों के आशय हेतु और धमकी के क्रियान्वयन के साधनों के बारे में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा।

यह विनिर्दिष्ट साक्षी संरक्षण उपाय, जो कि मामले में किये जाने योग्य हो, का सुझाव देने के अतिरिक्त संभावित धमकी को भी वर्गीकृत करेगी;

(ढ) ''साक्षी'' से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी भी अपराध के बारे में जानकारी या दस्तावेज रखता हो;

(ण) ''साक्षी संरक्षण आवेदन'' से साक्षी संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसके सदस्य सचिव के द्वारा साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्य, उसके सम्यक रूप से लगाये गये काउन्सलर या संबंधित अन्वेषण अधिकारी/एस.एच.ओ/संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(त) ''साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ'' से अपर पुलिस उपायुक्त अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला पुलिस का प्रकोष्ठ अभिप्रेत है जिसे स्कीम को क्रियान्वित करने का कर्तव्य समनुदिष्ट किया गया हो;

राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ की अध्यक्षता अपर महानिदेशक, पुलिस (अपराध) द्वारा पुलिस मुख्यालय में की जाएगी;

(थ) ''साक्षी संरक्षण निधि'' से इस स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन के दौरान उपगत खर्चों को वहन करने के लिए सृजित निधि अभिप्रेत है;

(द) ''साक्षी संरक्षण आदेश'' से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा देते हुए पारित आदेश अभिप्रेत है ।

3. संभावित धमकी के अनुसार साक्षियों के प्रवर्ग –

प्रवर्ग 'क' जहां धमकी का विस्तार अन्वेषण/विचारण के दौरान या उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के जीवन तक हो।

प्रवर्ग 'ख' जहां धमकी का विस्तार अन्वेषण विचारण के दौरान उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों की सुरक्षा , ख्याति या संपत्ति तक हो।

प्रवर्ग 'ग' जहा धमकी मामूली हो और अन्वेषण/विचारण के दौरान उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों की ख्याति या संपत्ति के उत्पीड़न और अभित्रास तक विस्तारित हो।

4. राज्य साक्षी संरक्षण निधि– (1) एक निधि अर्थात् साक्षी संरक्षण निधि होगी, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन के दौरान उपगत खर्चा और अन्य संबंधित व्ययों की पूर्ति की जायेगी।

(2) साक्षी संरक्षण निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थातः–

I. वार्षिक बजट में किये गये बजटीय आवंटन;

II. न्यायालयो/अधिकरणों द्वारा साक्षी संरक्षण निधि में जमा करने के लिए अधिरोपित/ आदेशित खर्चो की रकम की प्राप्ति;

III. अन्तरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ परोपकारी / पूर्त संस्थाओं / संगठनों और सरकार द्वारा अनुज्ञाप्राप्त व्यष्टियों द्वारा संदान/अंशदान;

IV. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन अंशदान की गई निधि।

(3) उक्त निधि गृह विभाग द्वारा संचालित की जाएगी ।

5. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन का फाइल किया जाना– इस स्कीम के अधीन संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित जिले मे जहां अपराध किया गया है, विहित प्रारूप में, समर्थक दस्तावेजो, यदि कोई हो, के साथ इसके सदस्य – सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया जा सकेगा।

6. आवेदन पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया –

(क) जैसे ही विहित प्रारूप में आवेदन, सक्षम प्राधिकारी के सदस्य–सचिव को प्राप्त हो जाये, तो वह तुरन्त धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मंगवाने के लिए जिले के अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक/जिले के

अपर पुलिस उपायुक्त/ पुलिस सहायक आयुक्त या संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. को आदेश पारित करेगा;

(ख) आसन्न धमकी के कारण उस मामले में अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए, सक्षम प्राधिकारी आवेदन के लम्बित रहने के दौरान साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के संरक्षण के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु कोई भी बात पुलिस को आवेदक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के जीवन को गंभीर और आसन्न धमकी के मामले में तुरन्त संरक्षण उपलब्ध कराने से प्रवारित नहीं करेगी;

(ग) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए शीघ्र तैयार की जाएगी और यह आदेश की प्राप्ति से पांच कार्य दिवस के भीतर – भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास पहुंचेगी;

(घ) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट संभावित धमकी को वर्गीकृत करेगी और साक्षी या उसके कुटुम्ब को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सुझावात्मक संरक्षण उपाय भी सम्मिलित करेगी;

(ड़) साक्षी संरक्षण के लिए आवेदन पर कार्यवाही करते समय सक्षम प्राधिकारी, साक्षी और/या उसके कुटुम्ब के सदस्यों/नियोजकों या किसी भी अन्य व्यक्ति, जो उचित समझा जाये, से भी अधिमानतः व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव नहीं हो तो इलैक्ट्रोनिक साधनों से संपर्क करेगा, जिससे कि साक्षी की संरक्षण आवश्यकताओं को अभिनिश्चित किया जा सके;

(च) साक्षी संरक्षण आवेदन पर समस्त सुनवाई पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए सक्षम प्राधिकारी के कक्ष में कैमरा कार्यवाही में की जायेगी;

(छ) पुलिस प्राधिकारियों से धमकी विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति से पांच कार्य दिवस के भीतर–भीतर आवेदन का निपटारा किया जायेगा;

(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश राज्य या, यथास्थिति, जिले के साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। समस्त साक्षी संरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर का होगाः तथापि, पहचान के परिवर्तन या / और पुनर्वास के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ

द्वारा संरक्षण आदेश, राज्य सरकार की अनुज्ञा से पुलिस मुख्यालय कार्यान्वित किया जायेगा;

(i) साक्षी संरक्षण आदेश पारित कर दिये जाने पर, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ एक मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

(ii) ऐसे मामलों में जिनमें सक्षम प्राधिकारी को यह लगता है कि साक्षी संरक्षण आदेश को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है या इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और विचारण के पूर्ण होने पर, एक नई धमकी विश्लेषण रिपोर्ट अपर पुलिस अधीक्षक /पुलिस उप अधीक्षक/जिला अपर पुलिस उपायुक्त/ सहायक जिला पुलिस आयुक्त या संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. से मंगवाई जायेगी।

7. **संरक्षण उपायों के प्रकार :**- आदिष्ट साक्षी संरक्षण उपाय धमकी के आनुपातिक और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होंगे और एक बार में तीन महीने से अधिक के लिए नहीं होंगे । इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे:

(क) यह सुनिश्चित करना कि साक्षी और अभियुक्त, अन्वेषण या विचारण के दौरान एक–दूसरे के सामने न आयें।

(ख) मेल और टेलिफोन कॉलो की मॉनीटरी करना ।

(ग) साक्षी के टेलीफोन नंबर परिवर्तित करने के लिए या उसे असूचीबद्ध टेलीफोन नंबर समनुदेशित करने के लिए टेलीफोन नंबर कंपनी के साथ व्यवस्था करना।

(घ) साक्षी के घर में सुरक्षा उपकरण जैसे कि सुरक्षा दरवाजे, सीसीटीवी, अलार्म, तारबंदी, इत्यादि का लगाना।

(ङ) साक्षी को उसके परिवर्तित नाम या वर्ण से निर्दिष्ट करके उसकी पहचान का छिपाया जाना ।

(च) साक्षी के लिए आपात में संपर्क किया जाने वाला व्यक्ति।

(छ) साक्षी के घर के चारों तरफ गहन सुरक्षा, नियमित गश्ती।

(ज) किसी नातेदार के घर या किसी नजदीकी कस्बे में आवास का अस्थायी परिवर्तन।

(झ) न्यायालय में जाने और वहां से आने के दौरान अनुरक्षा देना और सुनवाई की तारीख के लिए सरकारी यान या राज्य पोषित परिवहन की व्यवस्था करना।

(ञ) कैमरे में विचारण का संचालन ।

(ट) कथन और अभिसाक्ष्य के अभिलेखन के दौरान समर्थक व्यक्ति की उपस्थित को अनुज्ञात करना।

(ठ) विशेष रूप से डिजाइन किये हुए भेद्य साक्षी न्यायालय कक्ष जिसमें कि साक्षी के चेहरे की छवि को उपांतरित करने और साक्षी की आवाज के श्रव्य गृहित संकलन को उपांतरित करने के लिए, जिससे कि वह पहचाना/पहचानी न जा सके के विकल्प सहित, साक्षी और अभियुक्त के लिए अलग अलग रास्तों के अतिरिक्त विशेष व्यवस्थाएं करना जैसे कि लाइव वीडियो लिंक, एक तरफा दर्पण और स्क्रीन हो।

(ड) बिना स्थगन के दिन– प्रतिदिन के आधार पर विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य के त्वरित अभिलेखन को सुनिश्चित करना।

(ढ) साक्षियों को साक्षी संरक्षण कोष में से पुनर्वास, निर्वाह या नये व्यवसाय/वृत्ति प्रारंभ करने के लिए समय–समय पर कालिक वित्तीय सहायता/अनुदान, जैसा आवश्यक समझा जाये, अधिनिर्णीत करना।

(ण) संरक्षण उपायो का कोई भी अन्य रूप जो आवश्यक समझा जाये।

8. मॉनीटरी और पुनर्विलोकन– एक बार संरक्षण आदेश पारित हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरी करेगा और मामले में प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्टो के निबंधनों के अनुसार इसे पुनरीक्षित कर सकेगा। तथापि, सक्षम प्राधिकारी साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर संरक्षण आदेश का त्रैमासिक आधार पर पुनर्विलोकन करेगा।

9. पहचान का संरक्षण–

(1) किसी भी गंभीर अपराध के अन्वेषण या विचारण के दौरान, पहचान संरक्षण चाहने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसके सदस्य–सचिव के माध्यम से विहित प्रारूप में फाइल किया जा सकेगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी का सदस्य–सचिव धमकी विश्लेषण रिपोर्ट को मंगवायेगा। सक्षम प्राधिकारी साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति का, जो वह उचित समझे,

परीक्षण करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचान संरक्षण आदेश पारित किया जाना आवश्यक है या नही।

(3) आवेदन की सुनवाई के दौरान साक्षी की पहचान किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जायेगी जिससे कि साक्षी की पहचान संभाव्य हो। सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदन का निपटारा कर सकेगा।

(4) एक बार जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी की पहचान संरक्षण के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करना कि ऐसे साक्षी/उसके कुट्म्ब के सदस्यों के नाम/माता– पिता/ उपजीविका/पता/अंकीय पदचिन्हों सहित, की पहचान पूर्णतः संरक्षित है, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व होगा।

(5) जब तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन किसी साक्षी की पहचान संरक्षित है, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे उपलब्ध करवायेगा जिससे आपात के मामले में साक्षी द्वारा संपर्क किया जा सके।

10. पहचान का परिवर्तन – समुचित मामलों में, जहां साक्षी की ओर से पहचान में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाता है और धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी की नई पहचान प्रदान करने के लिए विनिश्चय लिया जा सकता है।

नई पहचान प्रदान करने में नया नाम/वृत्ति/माता–पिता और शासकीय एजेंसियों द्वारा प्रतिग्राहय समर्थित दस्तावेज उपलब्ध करवाना सम्मिलित है। नई पहचान साक्षी को विद्यमान शैक्षिक/वृत्तिक/सांपत्तिक अधिकारों से वंचित नहीं करेगी।

11. साक्षियों का पुनर्वास – समुचित मामलों में जहां साक्षी की ओर से पुनर्वास के लिए अनुरोध किया जाता है और धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी के पुनर्वास के लिए निर्णय लिया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकारी साक्षी के पुनर्वास के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र/संघ के क्षेत्र में साक्षी की सुरक्षा, कल्याण और भलाई को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित स्थान का आदेश पारित कर सकेगा। व्यय साक्षी संरक्षण कोष द्वारा वहन किये जायेगे।

12. साक्षियों को इस स्कीम से अवगत कराया जाना– अन्वेषण अधिकारी/न्यायालय प्रत्येक साक्षी की 'साक्षी संरक्षण स्कीम' के होने और इसकी मुख्य बातों के बारे में सूचना देगा व इस स्कीम का व्यापक प्रचार करेगा।

13. अभिलेखों की गोपनीयता और परिरक्षण –

(1) पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायालय कर्मचारीवृद, दोनों पक्षकारों के वकीलों सहित समस्त पदधारी पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में कोई भी अभिलेख, दस्तावेज या सूचना किसी भी परिस्थिति में, विचारण न्यायालय /अपील न्यायालय में और वह भी लिखित आदेश के सिवाय किसी भी रीति से किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जायेगी।

(2) इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित समस्त अभिलेख ऐसे समय तक परिरक्षित रहे जायेंगे जब तक कि संबंधित विचारण या उसकी अपील न्यायालय के समक्ष लंबित है। अंतिम न्यायालय की कार्यवाहियों के निपटारे के एक वर्ष पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्‌वारा अभिलेखों की हार्ड प्रतियां उनकी स्कैन की गयी सॉफ्ट प्रतियों के परिरक्षण के बाद हटायी जा सकेंगी।

14. व्ययों की वसूली – यदि साक्षी द्‌वारा मिथ्या परिवाद दाखिल किया जाता है, राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ सरकार की अनुज्ञा से साक्षी संरक्षण कोष से उपगत खर्चों की वसूली के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर सकता है।

15. पुनर्विलोकन – यदि साक्षी या पुलिस अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों से 15 दिन के भीतर –भीतर पुनर्विलोकन आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

16. निरसन और व्यावृत्तियां– राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018 इसके द्वारा निरसित की जाती है। ऐसा निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमित और की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई या की गयी समझी गयी किसी बात या की गयी समझी गयी किसी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एन.एल.मीना,

शासन सचिव गृह

राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020
के अधीन साक्षी संरक्षण आवेदन
(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

प्रेषिति

सक्षम प्राधिकारी,

राजस्थान..........................

निम्नलिखित के लिए आवेदन –

1. साक्षी संरक्षण ....
2. साक्षी पहचान संरक्षण ....
3. नवीन पहचान ....
4. साक्षियों का स्थान परिवर्तन ....

1. साक्षी की विशिष्टियां (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरा जाये) –

(1) नाम ....

(2) आयु ....

(3) लिंग (पुरूष / महिला / अन्य) ....

(4) पिता / माता का नाम ....

(5) निवास का पता ....

(6) साक्षी के कुटुम्ब के सदस्य, जिसे धमकियां प्राप्त हो रही ....
है या महसूस हो रही हैं, का नाम और अन्य विशिष्टियां

(7) संपर्क ब्यौरा (मोबाइल / ई–मेल) ....

2 दाण्डिक मामले की विशिष्टियां –

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. :– ....

(2) धारा के अधीनः– ....

(3) पुलिस थानाः– ....

(4) जिला :– ....

(5) दैनिक डायरी सं. (यदि प्र.सू.रि.अब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं की गयी है) ....
....

(6) दाण्डिक मुकदमा सं. (निजी परिवाद के मामले में) ....

3. अभियुक्त की विशिष्टियां:—(यदि उपलब्ध / ज्ञात है)

(1) नाम ....

(2) पता ....

(3) दूरभाष नं. ....

(4) ई—मेल आईडी ....

4. धमकियां देने वाले / संदिग्ध व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियां:— ....

....

5. धमकी महसूस करने की प्रकृति। ....
विनिर्दिष्ट तारीख, स्थान, ढंग और प्रयुक्त शब्दों सहित कृपया उस मामले में प्राप्त या महसूस की गयी धमकी संक्षिप्त ब्यौरा दें:—

6. साक्षी द्वारा / के लिए प्रार्थना किये गये साक्षी संरक्षण उपायों की प्रकृति : ....

....

7. अंतरिम अत्यावश्यक साक्षी संरक्षण आवश्यकताओं के ब्यौरे, ...
यदि अपेक्षित हो।

साक्षी अपने हस्ताक्षर से एक पृथक वचनबंध फाइल करेगा / करेगी कि वह सक्षम प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट / साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेगा / करेगी।

आवेदक / साक्षी अतिरिक्त सूचना देने के लिए अतिरिक्त पत्रों का उपयोग कर सकता है।

दिनांक ....

स्थान ....

(हस्ताक्षर सहित पूरा नाम)

वचनबंध

1. मैं वचन देता / देती हूँ कि में सक्षम प्राधिकारी और राज्य के गृह विभाग और साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का पूर्णतः सहयोग करूंगा / करूंगी।

2. मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

3. मैं समझता/समझती हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना के मिथ्या पाये जाने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी को इस स्कीम के अधीन साक्षी संरक्षण निधि में से मुझ पर उपगत व्ययों को वसूलने का अधिकार आरक्षित है।

दिनांकः ....

स्थानः ....

(हस्ताक्षर सहित पूरा नाम)

हेल्पलाइन नम्बर

अजमेर : 8306002101	अलवर : 8306002102
बालोतरा : 8306002103	बांसवाड़ा : 8306002104
बारां : 8306002105	भरतपुर : 8306002106
भीलवाड़ा : 8306002107	बीकानेर : 8306002108
बूंदी : 8306002109	चूरू : 8306002110
चित्तौड़गढ़ : 8306002112	दौसा : 8306002114
धौलपुर : 8306002115	डूंगरपुर : 8306002116
हनुमानगढ़ : 8306002118	जयपुर मेट्रो I : 8306002119
जयपुर मेट्रो II : 8306008220	जयपुर जिला : 8306002120
जैसलमेर : 8306002123	जालोर : 8306002126
झालावाड़ : 8306002127	झुंझुनूं : 8306002128
जोधपुर मेट्रो : 8306002021	जोधपुर जिला : 8306002129
करौली : 8306002130	कोटा : 8306002131
मेड़ता सिटी : 8306002132	पाली : 8306002166
प्रतापगढ़ : 8306002134	राजसमंद : 8306002135
सवाई माधोपुर : 8306002136	सीकर : 8306002137
सिरोही : 8306002138	श्री गंगानगर : 8306002117
टोंक : 8306002139	उदयपुर : 8306002022

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

विधिक सेवा संस्थाएं

राज्य स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां, जोधपुर एवं जयपुर

जिला स्तर पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय)

तालुका स्तर पर

तालुका विधिक सेवा समिति
(तालुका के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी का कार्यालय)

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com
हेल्प लाइन नम्बर : 15100, 9928900900 | website : www.rlsa.gov.in
फॉलो करें : rslsa.rajasthan @LeglAidRajsthan legalaidrajasthan